

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 147 / 2025

तारीख रजू :- 26/6/2025

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई०डी० नम्बर 2025/343

उनवान

अशोक पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बेरखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राज०

—वादीगण—21

बनाम

सियाराम पुत्र सम्पत जाति ब्राह्मण निवासी बेरखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—07

दिनांक	फर्द अहकाम
28/6/2025	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.07.2025 को पेश हो।</p> <p>(हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
28/7/25	<p>पत्रावली पैग हुई। बार-बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी वादीगण एवं उनके वकील उपस्थित नहीं हुए। इसलिए दावा मु० नं० 147/2025 मिशल आई० डी० नं० 2025/343 उनवानी अशोक बनाम सियाराम दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा आम हाजिरी अदम पैसी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पैसील शुमार होकर बाद तहसील नं० से रजू की जाकर दायिल इफतद हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।</p>